

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी- सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर
05 / 2025

तारीख रजू
30.04.2025

तारीख निर्णय
16/05/26

पुखराज मीना पुत्र मिश्रा, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
बनाम

—प्रार्थी

1. पृथ्वीराज पुत्र भम्बल, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
2. बनीसिंह पुत्र पृथ्वीराज, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
3. ज्ञानसिंह पुत्र पृथ्वीराज, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
4. लप्पू पुत्र गिर्राज, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
5. पृथ्वीराज पुत्र मनोरी, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
6. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील वजीरपुर

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :- श्री संजय शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम पीलौदा में प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं काश्तकारी की भूमि ख0न0 5735 रकबा 0.58 है0, ख0न0 5736 रकबा 1.71 है0 स्थित है। इस भूमि से किसी अन्य का कोई वास्ता नहीं है। प्रार्थी की भूमि के पूर्व दिशा में अप्रार्थी लप्पू पुत्र गिर्राज, पश्चिम दिशा में पृथ्वीराज पुत्र मनोरी, उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व दक्षिण दिशा में पृथ्वीराज पुत्र मनोरी की भूमि स्थित है। अप्रार्थी द्वारा अपनी भूमि का दिनांक 09.05.2024 का सीमाज्ञान करवा लिया है। प्रार्थी की इस भूमि के आस पास के अन्य खातेदार भूमि की जौल मेड को आये दिन क्षतिग्रस्त करते रहते हैं। जिससे प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 5735 रकबा 0.58 है0, ख0न0 5736 रकबा 1.71 है0 ग्राम पीलौदा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नहीं हुए हैं।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत्
2074-77 खाता संख्या 310, ग्राम वजीरपुर ब, फोटोकॉपी सीमाज्ञान रिपोर्ट
28.5.2019, 18.6.2024 प्रस्तुत किये हैं।



(2)

प्रकरण मे तहसीलदार वजीरपुर द्वारा अपने पत्रांक भूअ/2026/482 दिनांक 23.4.26 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 28.5.19, 18.6.2024 से स्पष्ट है कि प्रार्थी को उसकी भूमि ख0न0 5735 रकबा 0.58 है0, ख0न0 5736 रकबा 1.71 है0 ग्राम पीलौदा का सीमाज्ञान कराया जा चुका है परन्तु प्रार्थी का पडौसी काश्तकारों से विवाद बने रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 5735 रकबा 0.58 है0, ख0न0 5736 रकबा 1.71 है0 ग्राम पीलौदा की पत्थरगढी कराने का अधिकारी हैं।


आदेश


अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर को आदेश दिया जाता है कि वह पडौसी खातेदारों की उपस्थिति मे प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि ख0न0 5735 रकबा 0.58 है0, ख0न0 5736 रकबा 1.71 है0 ग्राम पीलौदा पर पत्थरगढी करावें।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य-प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/5/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(उप जिला कलेक्टर
सुधराना मीना
वजीरपुर)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर